

No. १४०३९/०५/२०१४- यू. टी. एस-II

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - ११० ००१.

दिनांक २८ जनवरी, २०१४.

विषय : श्री प्रवीण जैन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ६ (३) के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

उक्त विषय पर श्री प्रवीण जैन पता ए- १०३, आदीश्वर सोसाइटी, क्षेत्र ९ ए, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक ०४.११.२०१३ जो कि यू. टी. एस-II विभाग में ०९.०१.२०१४ को गृह मंत्रालय की री. एस. विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रेषक को सूचित किया जाता है कि यू. टी. एस-I एवं यू. टी. एस-II अनुभागों में उपलब्ध सूचना के आधार पर अप्रैल से जून तथा जुलाई से सितम्बर २०१३ को समाप्त तिमाही की त्रैमासिक रिपोर्ट संलग्नित हैं।

2. प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम एवं पता निम्नलिखित है:

श्री आई. एस. चहल,
संयुक्त सचिव (यू. टी.),
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - ११० ००१.

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)

निदेशक एवं लोक प्राधिकारी

दू. स. २३०९ २४३६

श्री प्रवीण जैन

ए- १०३,

आदीश्वर सोसाइटी,

क्षेत्र ९ ए, वाशी,

नवी मुंबई - ४०० ७०३

प्रतिलिपि जानकारी हेतु:

श्री रजनीश क्वातरा, अवर सचिव(पी. आर.), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - ११० ००१.

अनुज शर्मा

(अनुज शर्मा)

निदेशक एवं लोक प्राधिकारी

दू. स. २३०९ २४३६

Issued with Enclosure
Date..... <u>SA</u>
Sign..... <u>29.01.14</u>

हिंदी के प्रथम प्रयोग से संबंधित विषयकी प्रथम रिपोर्ट

अनुभाग का नाम श्री पी. एच. II, डेस्क जून - सितम्बर 2012 का प्रथम विषय

1. भाषाका अर्थविषय 1983 की भाषा (2) के अंतर्गत जारी कथनका की रिपोर्ट

- (क) जारी कथनका की कुल संख्या 06
- (ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कथनका शून्य

* कथन सामान्य आदेश, सभन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, कानून, विधेय, विचार, निर्देश, दंड नोटिस, संसदीय प्रश्न, आदि शामिल हैं।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों की रिपोर्ट (भाषाका नियम - 5)

- (क) अनुशासकालयों में कार्यालय पद्धति में प्राप्त के अनुसार 4, भाषा (2(1) के अनुसार निर्धारित इकाई सचिव के अनुसार हिंदी में प्राप्त कुल पत्र 04
- (ख) इनमें से केवल अंग्रेजी में दिए गए शून्य

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उतर हिंदी में दिए जाने की रिपोर्टकेवल एक ही में दिए गए पत्रों के लिए

	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	इनमें से पत्रों के उतर हिंदी में दिए गए
	1	2
क-संगठन से	592	11
समाज से	21	-

4. नीचे गले कुल पत्रों का व्योम :-

	हिंदी/अंग्रेजी में	केवल अंग्रेजी में	कुल संख्या	हिंदी/अंग्रेजी में कुल संख्या का प्रतिशत
	1	2	3	4
क-संगठन से	12	27	39	
समाज से	5	6	11	
संगठन से	9	11	20	

- 5. पत्रों पर हिंदी में उत्तर
 - (क) विभागीय के द्वारा किये गये रिप्लायों की संख्या 99
 - (ख) हिंदी में किये गये रिप्लायों की संख्या 12
 - (ग) अंग्रेजी में किये गये रिप्लायों की संख्या 87

6. विवेक केवल की संख्या
विषय केवल/अंग्रेजी/हिंदी/कुल मात्र में _____

अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर

(सोमेश पन्त)
 (VYOMESH PANT)
 अवर सचिव/अधिकारी
 Section Officer
 24 विभाग/MIHA
 फोन नम्बर 23094301

हिन्दी अनुभाग
गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

हिंदी के अठारहवां अध्याय में दिए गए कथनों का विश्लेषण करें।

जून - अक्टूबर 2023 को प्रकाशित

संख्या 100/2023

1. आठारहवां अध्याय (18.5) के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों का विश्लेषण करें।

- (क) सभी कथनों का विश्लेषण करें। 240
- (ख) इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं? 180

2. इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथनों को सही ठीक कर दें।

हिंदी के अठारहवां अध्याय में दिए गए कथनों का विश्लेषण करें।

(क) अठारहवां अध्याय में दिए गए कथनों का विश्लेषण करें।
 (ख) इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथनों को सही ठीक कर दें।

3. निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और सही ठीक कर दें।

	कथनों में सही कथनों की संख्या	इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं? सही ठीक कर दें।
कथन (क)	40	
कथन (ख)	20	

4. निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें।

	कथनों में सही कथनों की संख्या	इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं? सही ठीक कर दें।	कथनों में सही कथनों की संख्या	इनमें से कौन-कौन से कथन सत्य हैं? सही ठीक कर दें।
कथन (क)	180	4	3	
कथन (ख)		56	4	
कथन (ग)			10	

5. निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें।

- (क) कथनों में सही कथनों की संख्या 14
- (ख) कथनों में सही कथनों की संख्या 4
- (ग) कथनों में सही कथनों की संख्या 10

6. निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और सही ठीक कर दें।
 निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें और सही ठीक कर दें।

अध्यापक/अध्यापिका/अधीनस्थ के हस्ताक्षर

प्रीति कुमार
 6/12/23

अधीनस्थ का नाम
 पदनाम
 पता

प्रीति कुमार
 अध्यापिका
 93093159

हिंदी अध्यापिका
 उच्च माध्यमिक
 अर्थक

0/5

K/a US, US-II,
23094301

1

दिनांक: 4 नवंबर 2013

श्री,
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
श्री मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना पाने हेतु आवेदन

आवेदन क्र. MIHOME/R/2013/60186 दिनांक 8 जुलाई 2013

महोदय,

सूचना पाने के लिए चार महीने बाद भी आपके मंत्रालय ने उक्त आवेदन में मांगी गई सूचनाएँ प्रदान नहीं की हैं और मेरा आवेदन सामान्य सूचना का प्रयोग किए बिना ही राजभाषा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था और उसके बाद राजभाषा विभाग ने आवेदन मंत्रालय को वापस कर दिया था, मेरे आवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैं प्रश्न गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हूँ, आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन का सीआई आवेदन क्र. MIHOME/R/2013/60186 दिनांक 8 जुलाई 2013 का शीघ्र निपटारा करवाएँ और वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवाएँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदान करें, सारी सूचनाएँ केवल गृह मंत्रालय के मुख्यालय से सम्बंधित हैं इसलिए अनुरोध है कि मेरे आवेदन को मुख्यालय के बाहर हस्तान्तरित ना किया जाए:

1. प्रावधानों के कार्यालय में अक्टूबर 27 अप्रैल 1999, राजभाषा विभाग का दिनांक 22 सितम्बर 1999 एवं संसदीय राजभाषा समिति की प्रारंभिक प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश वर्ष 2008 में भारत सरकार की वेबसाइटों को द्विभाषी बनाने के लिए कहा गया है और हर वर्ष राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रमों में भी निर्देश देता है, फिर भी गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट अंग्रेजी अलग बनाई है और हिंदी में अलग नहीं है, साथ ही गृह मंत्रालय ने भारत के परम प्रधान शिवगान के प्रावधानों के विपरित अंग्रेजी वेबसाइट को प्राथमिकता दी है, अंग्रेजी वेबसाइट पहले खुलती है, अंग्रेजी वेबसाइट हमेशा पहले अद्यतित की जाती है जबकि हिन्दी वेबसाइट की अपडेट नहीं होती है, गृह मंत्रालय अपनी मुख्य वेबसाइट को पर सूचना कार्यालय की तरह एक साथ दोनों भाषाओं को प्रदर्शित करने वाली द्विभाषी वेबसाइट के रूप में बन आरम्भ करेगा? (जिसमें हिन्दी को प्राथमिकता दी जाएगी, विचार के लिए संविधान में अनुच्छेद-343 में भारत सरकार को स्पष्ट निर्देशित किया है।)
2. राजभाषा विभाग के 1992 के कार्यालय भवन के अनुसार स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि हिन्दी का प्रयोग हमेशा अंग्रेजी से पहले/बाद/साथ किया जाएगा जबकि अंग्रेजी वेबसाइट पर अंग्रेजी को प्राथमिकता, पहले खुलने की व्यवस्था की गई है, इसलिए बताएं कि कितने वर्षों में गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पीछाईवाँ के बरस 100% द्विभाषी रूप में तैयार कर ली जाएगी जिसमें हिन्दी पाठ्य सामग्री में हिन्दी पारलै (पीडीएफ अकादमी) हो अनुपलब्ध की जाएगी?
3. गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पर हिन्दी पृष्ठों पर भी अन्य अंग्रेजी वेबसाइटों के लिंक डाले जाते हैं ना कि संबंधित हिन्दी वेबसाइट के लिंक, ऐसा विचार विषय के अधीन किया जा रहा है? निम्नानुसार हिन्दी पाठ्य के साथ हिन्दी वेबसाइटों को जोड़ना चाहिए।
4. गृह मंत्रालय ने अंग्रेजी/मुख्यालय में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-2 विशेष कदम उठाये हैं?
5. गृह मंत्रालय के मुख्यालय से अर्थात्सक निवासों/ रसदवालों/कार्यालयों को पिछले दो वर्षों में राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली एवं राजभाषा नीति के पालन के लिए क्या-2 विशेष निर्देश जारी किए गए?
6. गृह मंत्रालय के मुख्यालय की हिन्दी सलहकार समिति एवं राजभाषा शर्मा-वर्मा समिति की पिछली बैठकें कब हुई थीं और जगहों बैठकें कब होने वाली हैं?
7. गृह मंत्रालय ने मुख्यालय में कितने अधिकारी और कारीगं केवल अंग्रेजी में कार्य करते हैं?
8. गृह मंत्रालय के मुख्यालय में राजभाषा अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं?

6

--- मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में प्रयोग में लायी या रही गिानलिखित भाषा में से कितनी दस्तावेजों और कितनी केवल अंग्रेजी में बनायी गई है, अलग-ए संख्या बताएं:

- क. पत्र-संग्रह,
- ख. अधिकारियों के अत्याचार-पत्र (विक्टिम फाइल),
- ग. रिपोर्टें,
- घ. प्रवेश-पत्रा,
- ङ. रक्षक की मुद्राएँ
- च. अधिकाारी नामावलि
- छ. अधिकाारी-अभिहित पत्र-पत्रा
- ज. फॉर्म/आवेदन-पत्रों के प्रारूप
- झ. ऑनलाइन फॉर्म

312
Admn
550

10. यह मंत्रालय के मुख्यालय में वर्तमान में कौन से कार्य मूल रूप से हिन्दी में किए जाते हैं, सूचित करें?

11. साल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक यह मंत्रालय के मुख्यालय में द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत सम्बन्धित जारी (१) प्रतिक्रिया, (२) प्रशासनिक आदेश, (३) कार्यसूची-निर्माण, (४) परिपत्र, (५) सूचना, (६) अधिसूचना, तथा (७) एंटी फॉर्म की अलग-ए कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने दस्तावेजों (हिन्दी-अंग्रेजी) में जारी किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

12. अप्रैल २०१३ से लेकर अक्टूबर २०१३ तक यह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा निष्पादित सविदाओं और करारों, अनुसंधानों और निष्पादन-प्रक्रियाओं की अलग-ए कुल संख्या सूचित करें और यह भी सूचित करें कि इनमें से कितने दस्तावेजों (हिन्दी-अंग्रेजी) में तैयार किए गए और कितने केवल अंग्रेजी में?

13. यह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा पिछले दो वर्षों में कब-ए राजभाषा अनुसंधान की त्रैमासिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग को भेजी गईं?

14. यह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा प्रेषित विज्ञापितों मूल रूप से किस भाषा में लिखी जाती हैं और इसका अनुवाद किस भाषा में किया जाता है?

15. यह मंत्रालय के मुख्यालय द्वारा हिन्दी प्रेषित विज्ञापितों किस किस रूप में भेजी जाती हैं?

16. यह मंत्रालय के पूर्व अध्यापक कार्यालयों/कक्षों/आयोगों/संस्थानों आदि ने अपने प्रतीक चिह्न (लोगो) एवं वेबसाइटें राजभाषा सम्बन्धी दस्तावेजों को संलग्न करने हुए अब तक केवल अंग्रेजी में ही बनाई हैं, इसके सम्बन्ध में यह मंत्रालय के निम्न अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है कि:

अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है कि:

प्रवीण जैन
म. 101 कर्मचारी सोसाइटी
कॉन्ट्र 9ए, बरसा
नवी मुंबई - 400903
टीप: आवेदन संख्या १० सगर्भ का ऑनलाइन भुगतान